राजकीय महाविद्यालय रिवालसर, तहसील बल्ह, जिला मण्डी हि0प्र0 के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2016

भाग–एक

1. प्रथम अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

हिमाचल प्रदेश सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या : ई0डी0एन0–ए0–के0ऐ0(1)–2/2012, दिनांक 28.7.2012 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2012–13 से राजकीय महाविद्यालय रिवालसर, तहसील बल्ह, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश में कक्षाएं प्रारम्भ की गई थी, किन्तु सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या : ई0डी0एन0ए0–के0ऐ0(1)–2/2012, दिनांक 2.3.2013 द्वारा उक्त महाविद्यालय को अनुसूचित (Denotify) कर दिया गया था। तदोपरान्त हिमाचल प्रदेश सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0–ए0–के0ऐ0 (1)–2/2012, दिनांक 15.1.2014 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2012–13 से पुनः इस महाविद्यालय को अधिसूचित किया गया एवं सत्र 2014–15 से पुनः इस महाविद्यालय में कक्षाएं प्रारम्भ की गईं। वर्तमान अंकेक्षण राजकीय महाविद्यालय रिवालसर के छात्र निधि लेखों का प्रथम अंकेक्षण है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

राजकीय महाविद्यालय रिवालसर, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि सत्र 2012–13, (4/2012 से 3/2013) एवं 2014–15 से 2015–16 (4/2014 से 3/2016) तक के छात्र निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.4.2016, 18.4.2016 से 19.4.2016 एवं 25.4.2016 से 30.4.2016 तक उक्त महाविद्यालय में किया गया।

अंकेक्षण की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

क्र0 सं0	सत्र	आय की जांच के लिए चयनित माह	व्यय की जांच के लिए चयनित माह
1.	2012–13	1/2013	3/2013

2.	2013–14	–	6/2013
3.	2014–15	7/2014	12/2014
4.	2015–16	6/2015	3/2016

सत्र 2013–14 में यद्यपि महाविद्यालय में कक्षाएं नहीं थी, तथापि माह : 6/2013 में विद्यार्थियों की पुस्तकालय प्रतिभूति से सम्बन्धित व्यय किए गए।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने संस्थाध्यक्ष तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री मान सिंह जम्वाल	6.8.2012 से 21.10.2012
2.	डा. जगदीश लाल चौधरी	22.10.2012 से 6.7.2013
3.	श्रीमति कंचन लता	17.6.2014 से 31.3.2015
4.	डा. अरविन्द सहगल	7.4.2015 से लगातार

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध ही न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2013 एवं 4/2014 से 3/2016 का अंकेक्षण शुल्क ₹15000 निम्न विवरणानुसार आंका गया :–

क्र0 सं0	सत्र	छात्र निधियों से प्राप्त कुल आय (₹)	अंकेक्षण शुल्क
1.	2012–13	17822	5000
2.	2014–15	38909	5000
3.	2015–16	90211	5000
		योग	**₹15000**

अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा उपरोक्त देय अंकेक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट

द्वारा भेजने का अनुरोध महाविद्यालय के प्राचार्य से अधियाचना संख्या : 074/2016, दिनांक 27.4.2016 द्वारा किया गया था तथा महाविद्यालय द्वारा यह अंकेक्षण शुल्क पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रिवालसर के ड्राफ्ट संख्या : 263544, दिनांक 29.4.2016 द्वारा भेज दिया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

5. निवेश :–

महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार दिनांक 31.3.2016 को महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा में कोई भी राशि निवेशित नहीं की गई थी।

6. समस्त निधियों (पुस्तकालय प्रतिभूति निधि के अतिरिक्त) को समिश्रित निधि की रोकड़ वही एवं बैंक खाते में जमा करवाए जाने के सन्दर्भ में :–

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से प्राप्त समस्त निधियों (पुस्तकालय प्रतिभूति को छोड़कर) को समिश्रित निधि की रोकड़ वही में लेने उपरान्त उक्त निधि के बचत खाते में जमा करवाया जा रहा है, जबकि नियमों में वर्णित प्रावधानों अनुसार सभी निधियों का रख–रखाव अलग–अलग किया जाना अपेक्षित है एवं निधि राशियों का व्यय भी तदानुसार ही किया जाना अपेक्षित है।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त निधियों का रख–रखाव अलग–अलग किया जाए एवं बैंक में भी समस्त निधियों हेतु अलग–अलग खाते खोलकर प्राप्त निधि राशियों को उनमें जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए, ताकि नियमों की अनुपालना सुनिश्चित होने के अतिरिक्त निधि राशियों का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जाए, जिस हेतु निधि राशि की वसूली की गई है।

7. विभिन्न निधियों के रूप में ₹1420 की वसूली न करने के सन्दर्भ में :–

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि सत्र 2012–13 एव 2014–15 में निम्नलिखित निधियों की वसूली छात्रों से नहीं की गई थी :–

क्र0 सं0	निधि का नाम	सत्र	निधि वसूली की दर	वसूली का स्वरूप मासिक/वार्षिक	छात्रों की सं0	राशि (₹)	टिप्पणी
1.	कैम्पस डेवेलपमेन्ट	2012–13	10	वार्षिक	19	190	

	फण्ड					
2.	–यथोपरि–	2013–14	10	वार्षिक	41	410
3.	कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट फेसिलिटी फण्ड	2013–14	20	वार्षिक	41	820
					योग	₹1420

अतः उक्त वर्णित निधियों की वसूली न करने बारे स्पष्टीकरण देते हुए इस समस्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त निधि खातों में जमा करवाई जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में समस्त निधि राशियों की वसूली नियमानुसार करने हेतु आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. निर्धारित दरों से अधिक दरों पर अथवा अनाधिकृत रूप से निधियों की वसूली करनाः

अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों से निधियों की वसूली करते समय या तो सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर वसूली की गई है अथवा अनाधिकृत रूप से निधियों की वसूली की गई है। उदाहरणार्थ सत्र 2014–15 में विद्यार्थी सहायता निधि की वसूली ₹2 प्रति वर्ष के स्थापन पर ₹3 प्रति वर्ष की दर से की गई है एवं सत्र 2012–13 तथा 2014–15 में गार्डन फण्ड की वसूली ₹10 प्रति छात्र एवं सोसाईटी क्लब फण्ड की वसूली ₹5 प्रति छात्र/प्रति वर्ष की दर से अनाधिकृत रूप से की गई है। इसी प्रकार सत्र 2014–15 में फर्नीचर रिप्लेसमेंट फण्ड की वसूली ₹10 प्रति छात्र/प्रति वर्ष की दर से की गई है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर वसूली एवं अनाधिकृत निधियों की वसूली बारे स्पष्टीकरण देते हुए उक्त वसूलियों को उचित ठहराया जाए।

9. अंकेक्षण अवधि मं कृत व्यय ₹14397 के विभिन्न सामान में पाई गई अनियमितताएंः

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि ₹14397 का भुगतान विभिनन फर्मों को निम्नानुसार किया गया हैः–

क्र0 सं0	निधि का नाम	फर्म का विवरण	बिल सं0	दिनांक	राशि	क्रय सामान का विवरण
1.	समिश्रित निधि	मै0 एक्बीशन प्रिन्टर्ज मण्डी	621	4.10.14	800	रजिस्टर 10 नं0
2.	–यथोपरि–	–यथोपरि–	614	7.8.14	2650	उत्तर पुस्तिकाएं,

						पहचान पत्र, लेटर पेड, पीटीए स्लिपस
3.	–यथोपरि–	न्यू एम्ब्रायडरी वर्क्स मण्डी	1201	2.3.16	497	रोसेटटस (Rossetts)
4.	–यथोपरि–	मै0 राज कुमार एण्ड सन्स, रिवालसर	346	13.3.16	3952	मिठाई एवं चाय
5.	–यथोपरि–	मै0 नरेन्द्र बुक स्टॉल, मण्डी	4053 से 4055	8.3.16	5308	पुस्तकें
6.	–यथोपरि–	मै0 एक्बीशन प्रिन्टर्ज, मण्डी	796	23.2.16	1190	उपस्थिति रजिस्टर 14 नं0
				योग	**₹14397**	

उपरोक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैं, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) क्रम संख्या : 1, 6 तथा क्रम संख्या : 2(कुल आय में से ₹650 का व्यय जो लेटर पेड एवं पीटीए स्लिप हेतु किया गया है) छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित व्यय ₹2640 (₹800+₹1190+₹650) की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त निधि खातों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) क्रम संख्या : 3 द्वारा क्रय सामान का कुल भुगतान ₹422 बनता है, जबकि फर्म द्वारा ₹497 का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया एवं इतनी ही राशि का भुगतान फर्म को कर दिया गया है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹75 की वसूली फर्म से करने उपरान्त निधि खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) क्रय संख्या : 4 एवं 5 द्वारा किया गया क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए तथा अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किया गया है, जबकि उपरोक्त वर्णित बिलों द्वारा किया गया क्रय निविदाओं द्वारा किया जाना अपेक्षित था, ताकि न्यूनतम बाजारीय भाव पर प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ उठाया जा सकता। अतः इस चूक बारे स्पष्टीकरण देते हुए भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए, ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का सम्पूर्ण लाभ उठाया जा सके।

10. महाविद्यालय में पत्रिका को प्रकाशित न करवाए जाने के सन्दर्भ में :–

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन अंकेक्षण अवधि के दौरान नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा संहिता के उक्त निधि के नियमानुसार महाविद्यालय में पत्रिका का प्रकाषन अनिवार्य रूप से किया जाना अपेक्षित है, यद्यपि उक्त अवधि में विद्यार्थियों से पत्रिका निधि की वसूली विधिवत रूप से की गई है। पत्रिका निधि की वसूली उपरान्त पत्रिका को प्रकाशित न करवाया जाना जहां एक ओर निधि वसूली के उद्धेश्य को निष्फल करता है, वहीं छात्रों के चहुंमुखी विकास में भी बाधक है। अतः पत्रिका का प्रकाशन न करवाए जाने बारे तथ्यों से अवगत करवाते हुए भविष्य में महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन प्रति वर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11. लघु आपत्ति विवरणी :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन (एल0ए0)एच0(2)सी0(15)xi(xi)308/2016–5198–5200, दिनांकः30.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) विभाग, हि0प्र0 शिमला 171001

2 उप निदेशक, शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) विभाग मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रिवालसर, जिला मण्डी हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.